न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 19/2020
जी.सी.एम.एस. : 2020/00270

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
भंवरसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली		1. भारत संचार निगम लिमिटेड जरिये महाप्रबंधक दूरसंचार पाली जिला पाली 2. उप तहसीलदार बगड़ी तहसील सोजत जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अपीलाण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र नारायण औझा
रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांक 27/01/2021

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार बगड़ी के प्रकरण संख्या 745/2019 सरकार बनाम भारत संचार निगम लिमिटेड अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 06.07.2020 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील के साथ अधिवक्ता अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 सी.पी.सी. के पेश किया। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अनुपस्थित रहने से बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं सरकारी पैरोकार सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि हल्का पटवारी साण्डिया ने ग्राम साण्डिया के खसरा नम्बर 1010 रकबा 0.04 किस्म बा.दो. पर टावर लगाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अतिक्रमण किए जाने बाबत टी.पी. रिपोर्ट उप तहसीलदार बगड़ी के समक्ष पेश की, जिस पर उप तहसीलदार बगड़ी ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए, दिनांक 06.07.2020 को अतिक्रमी आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के साथ 50/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जैर अपील आराजी को अपीलाण्ट ने श्रीमती चांदकंवर से जरिये रजिस्टर्ड बेचाण के क्रय किया है, जिस पर अपीलाण्ट का कब्जा है एवं वह उसका उपयोग–उपभोग कर रहा है। अपीलाण्ट जैर अपील प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था, जो मातहत अदालत द्वारा उसे नहीं बनाया गया। मातहत अदालत द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। अतः जैर अपील आदेश काबिल निरस्त है। जैर अपील आराजी को अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को टावर लगाने हेतु अनुबन्ध किया है, उक्त अनुबंध के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 जैर अपील आराजी पर काबिज है। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा टावर सरकारी भूमि पर नहीं लगाया गया है, बल्कि अपीलाण्ट की खरीदसुदा भूमि पर स्थापित किया गया है। मातहत अदालत द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व भूमि के मालिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:20:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर, पाली

को पक्षकार संयोजित करते हुए, सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश निरस्त फरमाया जावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा जैर अपील आराजी पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अतिक्रमण किये जाने से, उन्हीं को पक्षकार संयोजित किया गया तथा उन्हीं को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो यथावत रखा जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मातहत अदालत की पत्रावली के संलग्न रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भारत संचार निगम लिमिटेड ने ग्राम साण्डिया में अपीलाण्ट की आराजी पर 19 वर्ष एवं 11 माह के लिए टावर लगाने हेतु अनुबन्ध किया है। अपीलाण्ट ने उक्त आराजी श्रीमती चांदकवर से जरिये रजिस्टर्ड बेचाण के क्रय की है, जिसमें अपीलाण्ट द्वारा खसरा नम्बर 1015/1 रकबा 0.0400 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बाडा की भूमि का अंकन है, जबकि मातहत अदालत द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को ग्राम साण्डिया के खसरा नम्बर 1010 पर अतिक्रमण किया जाने से प्रकरण दर्ज किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। दोनों ही तथ्य आपस में विरोधाभाषी है जब अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 में अनुबन्ध हुआ, तो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा टावर भी अपीलाण्ट की भूमि पर ही स्थापित किया जाना चाहिए तथा अपीलाण्ट की भूमि पर स्थित टावर की आराजी अतिक्रमण की श्रेणी में आती है तो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के साथ अपीलाण्ट भी आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में आता है, लेकिन मातहत अदालत द्वारा मात्र भारत संचार निगम लिमिटेड को ही पक्षकार बनाया है, जबकि कम्पनी द्वारा जिस व्यक्ति की आराजी के संबंध में अनुबन्ध किया गया है, उसको पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। विधिनुसार किसी आराजी के संबंध में कोई भी निर्णय पारित किए जाने से पहले सभी प्रभावित पक्षकारों को सुनना आज्ञापक है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 745/2019 में पारित निर्णय दिनांक 06.07.2020 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उप तहसीलदार बगड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सभी पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए, पुनः विधिनुसार निर्णय पारित करे। उप तहसीलदार बगड़ी को निर्णय की प्रति के साथ उनकी मूल पत्रावली पालनार्थ भिजवाई जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.08.05 17:20:14 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/01/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली